2017/00078

न्यायालय जिला कलक्टर, बाड़मेर

पीठासीन अधिकारी : शिवप्रसाद एम. नकाते, आई0ए0एस0

रसद अपील सं. 71 / 2017

अपीलार्थी–	***बनाम***	**उत्तरदाता--**
धनराज उर्फ धनाराम पुत्र रामाराम		जिला रसद अधिकारी,
जाति चौधरी (कलबी) निवासी		बाड़मेर
कुम्हारों का वास, मोतीसरा		
तहसील सिवाना जिला बाड़मेर		

प्रथम अपील अन्तर्गत धारा 22 राजस्थान खाद्यान्न एवं अन्य आवश्यक पदार्थ (वितरण एवं विनिमय) आदेश 1976 विरूद्ध निर्णय दिनांक 26.09.2017 जो विभागीय प्रकरण सं. 140 / 2017 मे जिला रसद अधिकारी बाड़मेर द्वारा पारित किया गया।

उपस्थिति :–

1. श्री सुरेश पूनड़, अधिवक्ता अपीलार्थी की ओर से उपस्थित।
2. सरकारी पैरोकार, उत्तरदाता की ओर से उपस्थित।

आदेश

दिनांक : 25 / 04 / 2018

1. अपीलार्थी की ओर से यह प्रथम अपील राजस्थान खाद्यान्न एवं अन्य आवश्यक पदार्थ (वितरण एवं विनिमय) आदेश 1976 की धारा 22 के अन्तर्गत जिला रसद अधिकारी बाड़मेर द्वारा प्रकरण सं. 140 / 2017 सरकार बनाम धनराज मे पारित निर्णय दिनांक 26.09.2017 के विरूद्ध पेश की गई है।

2. प्रस्तुत अपील के संक्षिप्त तथ्य यह है कि अपीलांट धनराज उर्फ धनाराम उचित मूल्य दुकानदार मोतीसरा द्वारा सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अन्तर्गत आवंटित राशन सामग्री एवं केरोसीन का समय पर सही रूप से वितरण नही करने, राशन कार्ड मे गेंहू वितरण की मात्रा मे कांट--छांट करना एवं पोश मशीन की राशन वितरण रसीद उपलब्ध नही कराने की शिकायत पर प्रवर्तन निरीक्षक बाड़मेर द्वारा की गई जांच मे बरती गई

न्यायालय जिला कलक्टर
सत्यमेव जयते
बाड़मेर (राजस्थान)

जिला कलक्टर
बाड़मेर

अनियमितताओं के फलस्वरूप अपीलांट का प्राधिकार पत्र निर्णय दिनांक 26.09.2017 द्वारा निरस्त किया गया। इस आदेश से व्यथित होकर अपीलांट ने यह अपील हमारे समक्ष प्रस्तुत की है। अपीलांट ने अपीलाधीन आदेश का पूर्व मे ज्ञान नही होने से जानकारी तिथी से अपील को अंदर मयाद शुमार करने का निवेदन किया। अपीलांट ने अपील के साथ धारा 5 परिसीमा अधिनियम के तहत प्रार्थना पत्र एवं शपथ पत्र भी पेश किया है।

3. अपीलांट की अपील दर्ज रजिस्टर कर रेस्पोडेंट को जरिये समन तलब किया एवं अपीलाधीन आदेश से सम्बन्धित पत्रावली तलब कर अवलोकन किया।

4. हमने दोनो पक्षों की बहस सुनी। अपीलांट के विद्वान अधिवक्ता का यह तर्क है कि अपीलांट उचित मूल्य दुकान मोतीसरा का डीलर नियुक्त है। अपीलांट के विरूद्ध शिकायत की प्रवर्तन निरीक्षक द्वारा जो जांच की गई है उसमे अपीलांट के विरोधी पक्षकार थे उनके बयान लेकर रिपोर्ट पेश की है। बयान के समर्थन मे दस्तावेज की फोटो प्रतियां पत्रावली मे पेश नही की है व ग्राम पंचायत मोतीसरा के सरपंच, वार्ड पंचों एवं गांव के अधिकांश मौजीज व्यक्तियों ने अधिनस्थ अधिकारी के समक्ष अपीलांट के ईमानदार होने एवं अपीलांट के उचित मूल्य दुकान की वस्तुओं के वितरण मे कभी धांधली नही करने बाबत लिखित मे प्रतिवेदन किया है। अपीलांट द्वारा मूल्य एवं स्टॉक प्रदर्शन किया एवं युनिट रजिस्टर संधारित था। डीलर द्वारा राशन सामग्री का नियमित रूप से वितरण किया जा रहा है। जांच के भौतिक सत्यापन के दौरान गेंहू, नीला केरोसीन एवं चीनी का स्टॉक सही था इसमे किसी प्रकार का अन्तर नही था। उन्होने तर्क दिया कि आलौच्य आदेश का मुख्य आधार राशन कार्ड मे की गई प्रविष्टियों मे कांट–छांट होना बताया है, मगर राशन कार्ड की प्रविष्टियों अपीलांट द्वारा नही की गई हे। अधिवक्ता अपीलांट ने तर्क दिया कि डीलर द्वारा उपभोक्ताओं को राशन वितरण की रसीद नियमित दी जाती थी मगर कई बार पोश मशीन का प्रिंटर खराबी हो जाने पर पर्ची नही निकलने से नही दी जा सकी। अपीलांट एक वृद्ध व्यक्ति

न्यायालय जिला कलक्टर बाड़मेर (राजस्थान) सत्यमेव जयते

जिला कलक्टर
बाडमेर

होने एवं आय का कोई अन्य साधन नही है इसलिय रेस्पोडेंट द्वारा जारी आदेश दिनांक 26.09.2017 को निरस्त कर अपीलांट का प्राधिकार पत्र बहाल किया जाए।

5. इसके जवाब मे रेस्पोडेंट के पैरोकार का यह तर्क है कि अपीलांट के विरूद्ध प्राप्त शिकायत की जांच मे उपभोक्ताओं को माह जून 2017 से पूर्व पोश मशीन की राशन का वितरण की रसीद उपलब्ध नही कराने, उपभोक्ताओं को राशन कार्ड के युनिटों की तुलना मे कम मात्रा मे गेंहू वितरण करना, राशन कार्डों मे गेंहू वितरण की मात्रा प्रविष्टि मे ओवर राईटिंग कर जांच मे राशन कार्डों मे प्रविष्टि एवं जांच किये गये राशन कार्डो की पोश मशीन से राशन सामग्री की ऑन लाईन ट्रांजेक्शन का गबन करना पाये जाने से डीलर ने राजस्थान खाद्यान्न एवं अन्य आवश्यक पदार्थ (वितरण एवं विनिमय) आदेश 1976 तहत जारी प्राधिकार पत्र की शर्त सं. 9, 11, 15, 17 व 18 का उल्लंघन किया गया है, जिसके फलस्वरूप प्राधिकार पत्र निरस्त किया गया है, जो सही एवं उचित है, लिहाजा अपीलांट की अपील खारिज की जाए।

6. हमने दोनो पक्षों के तर्कों पर मनन किया। अपीलाधीन पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया। अपीलांट धनराज उचित मूल्य दुकान मोतीसरा का डीलर नियुक्त है। प्रवर्तन निरीक्षक द्वारा की गई जांच मे अपीलांट उचित मूल्य दुकानदार मोतीसरा द्वारा गेंहू, केरोसीन वितरण मे अनियमितता बरतने एवं पोश मशीन से उपभोक्ताओं की राशन सामग्री का ट्रांजेक्शन अधिक कर, उपभोक्ताओं को राशन सामग्री कम देना एवं पोश मशीन से प्राप्त रसीद उपभोक्ताओं को नही देने जैसी अनियमितता के आधार पर प्राधिकार पत्र निरस्त किया गया है। इस सम्बन्ध मे अपीलांट द्वारा प्रस्तुत जवाब, जांच रिपोर्ट, ग्रामवासी मोतीसरा एवं सरपंच ग्राम पंचायत मोतीसरा के लिये गये संयुक्त बयान मे राशन सामग्री के वितरण मे डीलर से कोई शिकायत नही होना बताया है। उचित मूल्य दुकानदार ज्यादा पढा–लिखा नही होने से तकनीकी दक्षता नही होने के कारण सही इन्द्राज नही कर

न्यायालय जिला कलक्टर सत्यमेव जयते बाड़मेर (राजस्थान)

जिला कलक्टर
बाडमेर

पाया एवं उचित मूल्य दुकानदार द्वारा खाद्य सुरक्षा सूची मे दर्ज मात्रानुसार व राशन कार्ड मे दर्ज मात्रानुसार खाद्यान्न देना पाया गया एवं वक्त निरीक्षण भौतिक सत्यापन मे स्टॉक की मात्रा सही पाई गई। अपीलार्थी के योग्य अधिवक्ता का अभिकथन है कि अपीलार्थी के द्वारा संचालित उचित मूल्य दुकान से उचित मूल्य सामग्री के वितरण मे ग्रामवासियों की ओर से कोई शिकायत नही थी तथा रेकर्ड का संधारण भी पूर्ण कर लिया गया था इसके बावजूद भी अधिनस्थ अधिकारी द्वारा प्रवर्तन निरीक्षक की निरीक्षण रिपोर्ट का ऑब्जेक्टिव कंसीडरेशन किये बिना ही अपीलाधीन आदेश पारित कर दिया। अपीलांट कम-पढ़ा लिखा है तथा पोश मशीन से संबधित तकनीकी से अनभिज्ञ होने से संभव है कि राशन सामग्री वितरण रजिस्टर एवं पर्चीयों मे भिन्नता आई हों, किंतु जिन पर्चीयों मे भिन्नता पाई गई, उन उपभोक्ताओं के बयान लिये जाकर यदि उन्हे सामग्री वितरण मे कम-ज्यादा प्राप्त हुई हों तो उसका आकलन करते हुए जांच कार्यवाही सम्पन्न की जानी थी। इसके अलावा भी कम पाई गई सामग्री की मात्रा भी इतनी अधिक नही है, ऐसे मे अपीलार्थी के प्राधिकार पत्र को निरस्त करने के अपीलाधीन आदेश से पूर्व उसे व्यक्तिगत रूप से सुनवाई का अवसर प्रदान कर परिस्थितियों की वास्तविकता की जांच कराये जाने एवं गुणावगुण पर प्रकरण का निस्तारण किया जाना चाहिए था। इस प्रकार हस्तगत प्रकरण मे एकपक्षीय आदेश अपीलार्थी की अनुपस्थिति मे पारित किया गया है तथा प्रकट तथ्यों के अनुसार अपीलर्थी को यथा समय जानकारी नही होने से उसके द्वारा प्रस्तुत शपथ पत्र मे उल्लेखित परिस्थितियों के आधार पर इस अपील के प्रस्तुत करने मे हुए विलम्ब को क्षमा किये जाने का पर्याप्त आधार होने से यह अपील अन्दर मयाद शुमार की जाती है। अपीलार्थी द्वारा प्रकट तथ्यों के मद्देनजर प्रकरण मे अपीलार्थी को समुचित सुनवाई का अवसर प्रदान नही कर आदेश पारित करने मे शीघ्रता की गई है जिसके आधार पर अपीलाधीन आदेश निरस्त योग्य है।

न्यायालय जिला कलक्टर
सत्यमेव जयते
बाड़मेर (राजस्थान)

जिला कलक्टर
बाड़मेर

7. अतः उपर्युक्त तथ्यों एवं परिस्थितियों पर विवेचन एवं विश्लेषण के परिणामस्वरूप अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत यह प्रथम अपील स्वीकार की जाकर अधिनस्थ जिला रसद अधिकारी बाड़मेर द्वारा रसद प्रकरण सं. 140/2017 मे पारित किया गया अपीलाधीन आदेश दिनांक 26.09.2017 निरस्त किया जाता है तथा प्रकरण पुनः इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि आवश्यक जांच एवं अपीलार्थी को सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान करते हुए पुनः नये सिरे से निस्तारण करें।

8. आदेश आज दिनांक 25.04.2018 को खुले न्यायालय मे सुनाया गया।

(शिवप्रसाद एम. नकाते)
जिला कलक्टर, बाड़मेर

जिला कलक्टर
बाड़मेर

न्यायालय जिला कलक्टर बाड़मेर (राजस्थान) सत्यमेव जयते